

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दि० ०९/११/२०२३
क्रमांक- ६११/१६९२९४८/२०२३/२०-३::म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का
आदेश क्रमांक-डी/१६३४/२०-२-७८, भोपाल, दि० जून, १९७८/संचालक, राज्य
शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक-राशिके/आरटीई
/२०२३/१३५१, भोपाल, दि० ०७.०३.२०२३ में न्यूनतम आयु के संबंध में
कक्षा ९वीं में नामांकन हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा केवल शिक्षण सत्र
२०२३-२४ के लिये शिथिलता प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


९/११/२३
(ओ०एल०मण्डलोई)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दि० ०९/११/२०२३

पृ०क्रमांक-६१२/१६९२९४८/२०२३/२०-३
प्रतिलिपि:-

- (१) विशेष सहायक, मान० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (२) आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल।
- (३) संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
- (४) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (५) समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
- (६) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- (७) समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।
- (८) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- (९) फोल्डर प्रति,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


९/११/२३
उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग